न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

प्रकरण संख्या– 57 /2015/TI

1. छोटीदेवी बेवा नारायणलाल
2. बोदूराम पुत्र स्व. नारायण लाल

समस्त जाति रैगर निवासीगण ग्राम खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–प्रार्थीगण

बनाम

1. मुन्ना खां पुत्र अली मोहम्मद
2. फतेह मोहम्मद पुत्र सुवालाल
3. मोहम्मद खां पुत्र शोकत अली
4. नवाब अली पुत्र गन्नी खां तेली
5. महबूब खां पुत्र हेसैन खां कलाल
6. इब्राहिम कायमखानी पुत्र फतू खां
7. पप्पू मणियार पुत्र इब्राहिम मणियार
8. मुस्ताक मणियार पुत्र रमजान
9. भंवर खां लुहार पुत्र चांद खां लुहार
10. सफी खां फकीर पुत्र घींसू खां
11. रफीक फकीर पुत्र रहीस फकीर
12. लाला मणियार पुत्र नूरचन्द मणियार
13. यामिन कलाल पुत्र हुसैन कलाल

समस्त जाति मुसलमान निवासीगण खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

14. पोखर मल पुत्र श्री नारायणलाल जाति रैगर निवासी ग्राम खाचरियावास तहसील दांतारामढ जिला सीकर।
15. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

आवेदन अं0 धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

1. श्री भंवरसिंह शेखावत वकील प्रार्थीगण की ओर सें।
2. अप्राथी सं0 1 ता 13 की ओर सें वकील श्री भवानी सिंह शेखावत तथा अप्रार्थी सं0 14 की ओर सें वकील श्री सुरेन्द्रपाल धायल।

निर्णय

दिंनाक :– 09.07.2019

1. आवेदन का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगणों की संयुक्त कब्जे काश्त की भूमियां खसरा नम्बर 578 रकबा 2.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 579 रकबा 1.00 हैक्टर, व खसरा नम्बर 574 रकबा 1.91 हैक्टर किता 3 कुल रकबा 5.11 हैक्टर वाके ग्राम खाचरियावास तहसील दांतारामगढ में अवस्थित है जिसमें वादीयां सं0 1 के पति व आवेदक सं0 2 एवं अनावेदक सं0 14 के पिता स्व0 नारायणलाल के कयशुदा कृषि भूमियां है जो आवेदकगण व अनावेदक सं0 14 को विरासत में प्राप्त हुई है जिसको आवेदकगण राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार काश्त करते आ रहे है। उक्त भूमियां खसरा नम्बर 574 व 579 के दक्षिण दिशा में शमसान घाट की भूमि खसरा नम्बर 607, 608 किता दो कुल रकबा 9.93 हैक्टर अवस्थित है उक्त शमसान की भूमि में सें अनावेदकगण सं0 1 ता 13 का कोई व्यक्तिगत रूप सें कोई लेना देना नहीं है तथा अनावेदक सं0 1 ता 13 गैर खातेदार है जो इस शमसान भूमियों की आड़ में आवेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 574 व 579 की दक्षिणी दिशा की सीमा को तोड़कर शमसान की भूमियों में मिलाने व मौका स्थिति तब्दील करने व आवेदकगण को बेदखल करने पर आमादा है। अनावेदकगण बहुसंख्यक व्यक्ति है तथा भूमाफिया गिरोह सें है जो यदि इस कु–उद्देश्य में कामयाब हो जाते है तो इस कदर आवेदकगण को असीम क्षति होगी जिसकी भरपाई कानून द्वारा किया जाना किसी भी प्रकार सें संभव नहीं है। अतः निवेदन है कि अनावेदकगणों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा सें प्रतिबंधित फरमाया जावे कि विवादित भूमियें खसरा नम्बर 578, 579, 574 किता 3 कुल रकबा 5.11 हैक्टर वाके ग्राम खाचरियावास तहसील दांतारामगढ के सुचारू कब्जे काश्त उपयोग उपभोग करने व सीमा तोड़ फोड़ करने जबरन कब्जा कर आवेदकगण को बलात् बेदखल कर मौका स्थिति परिवर्तन करने से मय अपने परिजन, नौकर एजेन्ट व प्रतिनिधि आदि बाज रहे।
2. आवेदन पेश होने पर अनावेदकगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्राथी सं0 1 ता 13 की ओर सें वकील श्री भवानी सिंह शेखावत तथा अप्रार्थी सं0 14 की

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

ओर सें वकील श्री सुरेन्द्रपाल धायल उपस्थित आये। वकील अप्रार्थी सं0 1 ता 13 की ओर सें जवाब आवेदन पेश किया गया।

3. बहस बकुलाय फरीकेन सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि शमसान की भूमि में सें अनावेदकगण सं0 1 ता 13 का कोई व्यक्तिगत रूप सें कोई लेना देना नहीं है तथा अनावेदक सं0 1 ता 13 गैर खातेदार है जो इस शमसान भूमियों की आड़ में आवेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 574 व 579 की दक्षिणी दिशा की सीमा को तोड़कर शमसान की भूमियों में मिलाने व मौका स्थिति तब्दील करने व आवेदकगण को बेदखल करने पर आमादा है। अतः अनावेदकगणों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा सें प्रतिबंधित फरमाया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आवेदकगण ने कतई गलत रूप सें झूंठे तथ्य अंकित कर दावा व आवेदन पेश किया है। अनावेदक सं0 1 ता 13 मुस्लिम समाज के व्यक्ति है तथा भूमि पुराने खसरा नम्बर 619/1 रकबा 40 बीघा 2 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 607 रकबा 8.88 है0, ख0नं0 608 रकबा 1.05 है0, ख0नं0 606/1409 रकबा 0.20 है0 कब्रिस्तान की भूमि है जिसमें मुस्लिम समाज के मुर्दे मुस्लिम रीति रिवाज अनुसार पीढियों सें दफनाये जाते रहे है। अतः आवेदन खारिज फरमाया जावे।

बहस बकुलाय पर मनन किया गया तथा पत्रावली व उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार है तथा अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत जवाब आवेदन राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार गलत है अतः रिकॉर्डेड खातेदार के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धांत भी प्रार्थीगण के पक्ष में ही है। अतः आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 12.06.2015 को तादौराने वाद यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम व मूलवाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़